उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा 'उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड' में कार्यरत एवं व्यापार कर/आयकर विभाग में पंजीकृत ऐ क्लास ठेकेदारों व निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेता से निम्न कार्य व सामग्री हेतु सील बन्द निविदायें दो भागों में (प्रथम भाग में धरोहर राशि एवं द्वितीय भाग में दरें जो कि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम तीन माह तक वैध हों) दिनांक 17.08.2011 को 14.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी द्वारा सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 16.08.2011 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से रू0 250.00 तथा 13.50 प्रतिशत व्यापार कर सहित नकद (अप्रतिदेय) जमा कर कार्यालय से क्रय किये जा सकते हैं। प्रत्येक निविदा की धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण), 18–ई0सी0रोड, देहरादून के पक्ष में बंधक होनी चाहिए। बिना धरोहर राशि के निविदा भाग 2 नहीं खोली जायेंगी। निविदा खोलने के दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेंगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते हैं।

नोटः–निविदा प्रपत्र केवल उन्ही निविदाकारों को निर्गत किये जायेगे, जिनका लाईन कार्य को करने का विगत तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर 10.00 लाख से कम में हो एवं इस खण्ड में कोई भी कार्य लम्बित न हों लम्बित कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

<u>निविदा संख्या 19/यूडीडीएस/11–12</u>
उपखण्ड भण्डारी बाग/निरंजनपुर के अधीन 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थानों का निर्माण, क्षमता वृद्वि, 1 फेस 2 फेस को 3 फेस में बदलना, टूटे सड़े गले पोलो को बदलना एवं लम्बे स्पॉनों के बीच पोल स्थापित करने इत्यादि कार्य।
धरोहर राशि रू0 10,000/– केवल।

<u>निविदा संख्या 20/यूडीडीएस/11–12</u>
उपखण्ड टर्नर रोड़ के अधीन 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थानों का निर्माण, क्षमता वृद्वि, 1 फेस 2 फेस को 3 फेस में बदलना, टूटे सड़े गले पोलो को बदलना एवं लम्बे स्पॉनों के बीच पोल स्थापित करने इत्यादि कार्य।
धरोहर राशि रू0 10,000/– केवल।

<u>निविदा संख्या 21/यूडीडीएस/11–12</u>
उपखण्ड बसन्त विहार (कौलागढ़) के अधीन 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थानों का निर्माण, क्षमता वृद्वि, 1 फेस 2 फेस को 3 फेस में बदलना, टूटे सड़े गले पोलो को बदलना एवं लम्बे स्पॉनों के बीच पोल स्थापित करने इत्यादि कार्य।
धरोहर राशि रू0 10,000/– केवल।
अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
न0वि0वि0ख0(दक्षिण), देहरादून।

पृष्ठांकन 6454 /न0वि0वि0ख0(द0)/तददिनांक : 15/7/11

1. प्रतिलिपि मै0 ऐलेवेशन एडवरटाईजिंक ऐजेन्सी, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला/बद्री विशाल (देहरादून सस्करण) में **दिनांक** 16.08.2011 के अंक कम से कम स्थान में **(हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों में 8–10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6–8 प्वाइन्ट टाइप में)** केवल एक ही कालम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करवायें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन की दो प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादून को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर छायाप्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री की अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र को अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा मान्य विज्ञापन दरें, स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करे।
6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त आदेशों के विपरित तथा अलग अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों पर कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।
8. नगरीय विद्युत वितरण खण्ड(द0) केवल उन्हीं विज्ञापनों के बिलों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जो इस खण्ड द्वारा निर्गत होगें।
9. विवाद की स्थिति में जिला न्यायालय देहरादून का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
न0वि0वि0ख0(दक्षिण), देहरादून।